

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित संस्थान)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2017-18 से सैकेण्डरी एवं सी0 सैकेण्डरी स्तर के स्थाई विद्यालयों से निरन्तरता शुल्क 2000/-रु0 तथा जो विद्यालय कक्षा सैकेण्डरी तक स्थाई मान्यता एवं कक्षा सीनियर सैकेण्डरी तक अस्थाई मान्यता प्राप्त है उन विद्यालयों को केवल 8000/-रुपये सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक है।

शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए सम्बद्धता आवेदन-पत्र व शुल्क प्राप्ति की बिना विलम्ब शुल्क तिथि 28-08-2017 निर्धारित की गई थी जिसमें अब विद्यालयों के हितों के दृष्टिगत निम्न प्रकार से तिथियों में परिवर्तन किया गया है:-

बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क 5000/-रुपये सहित
01-09-2017	18-09-2017

अतः सभी विद्यालय समय रहते अपने सम्बद्धता आवेदन-पत्र व शुल्क बोर्ड कार्यालय में जमा करवाएं व सम्बद्धता आवेदन-पत्र के साथ शिक्षा विभाग से प्राप्त मान्यता की प्रति/सूची सलंगन करना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में बोर्ड की website पर दिए गए विस्तृत निर्देश व शर्तें पूर्व की भान्ति यथावत रहेंगी।

सहायक सचिव(सम्बद्धता)